


को डिलवई पत्रावली वारं वरस डिनांक 19.01.22 को पेश हो

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)

19.01.22

कोविड-19 के कारण
पत्रावली पेश हुई। वकीलो ने कार्य स्थगित
कर रखा है। पत्रावली वास्ते पुनर्दिनांक
दि 29.02.22 को पेश हैं।



01.02.22

कोविड-19 के कारण
पत्रावली पेश हुई। वकीलो ने कार्य स्थगित
कर रखा है। पत्रावली वास्ते पुनर्दिनांक
दि 10.02.22 को पेश हैं।



10.02.22

पत्रावली पेश हुई वकील इमरपक्ष उपस्थित हुआ
वहस के लिये समय यादा मौका दिया जाकर
पत्रावली वास्ते वहस डिनांक 16.02.22 को पेश हो

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

16.02.22

आज पत्रावली पेश हुई वकील इमरपक्ष उपस्थित
हुआ। पत्रावली वास्ते वहस डिनांक 03.03.2022 को
पेश हो


उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

03.03.2022

पत्रावली पेश हुई वकील इमरपक्ष उपस्थित हुआ
वहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अउर डिनांक
15.03.2022 को पेश हो

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)


ग्राम पलामेहडा तहसील मध्या स्थित आराजी खसरा
 103/288, 95/077, 96/125, 97/052, 98/093
 कुल किला 5 रकवा 6.75 हेक्टेयर भूमि सायलान व
 गैर सायलान नं. 1 की सहखातेदारी की भूमि है
 सायलान व गैर सायलान बाधमी बंटवारे अनुसार
 कार्रवाई कायम है। लेकिन खाता संशुद्ध होने व
 निश्चित बंटवारा नहीं होने सायलान द्वारा दावा
 कायम तत्काल न्यायालय पेश किया है। गैर सायलान
 द्वारा सायलान को परेशान करने, कठोर कार्रवाई
 में व्यवधान करने से सायलान जरिये कच्चाई
 निवेधासा पाबन्द करवाना चाहते हैं। ज्ञापन
 प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई
 तथा गैर सायलान की तलबी जरिये नोटिस की
 गई। गैर सायलान नं. 1 उपस्थित हुआ तथा 2 व 3
 बावजूद सूचना / तामील के उपस्थित नहीं होने के
 दिनांक 15.12.21 को एक पक्षीय कार्यवाही अगल
 में लगी गई। गैर सायलान नं. 1 द्वारा ज्ञापन का जवाब
 पेश किया। जवाब में सायलान व गैर सायलान नं. 1
 अपने-अपने हिससे पर शो रिप्लिके कार्रवाई होना
 तथा सायलान की भूमि पर कार्रवाई बंदी करना
 उल्लेख किया है। वकील उमर पस की बहल बुनी
 गयी बहल में सायलान के वकील ने ज्ञापन के
 तथ्यों को ही दोहराते हुए कच्चाई निवेधासा
 जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील गैर सायलान
 नं. 1 द्वारा कथन किया कि गैर सायलान व सायलान
 सह-खातेदार है जिस कच्चाई निवेधासा से पाबन्द
 नहीं किया जा सकता। वकील उमर पस की बहल
 पर मनन किया तथा पत्रावली का कवलोफन
 किया। विवादित भूमि सह खातेदारी की भूमि है
 सहखातेदार के कच्चाई निवेधासा से पाबन्द किया
 जाना उचित तरीका नहीं होगा है। सायलान द्वारा


 उपसंड अधिकारी
 मध्या विभाग-दौसा (राज.)

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड आ

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बनाम मु. सं.
------------	--

विवादित भूमि के निर्माण गैरसाफल्य कारा किन्तु
 किया जाता बताया है लेकिन किसी वसुधम्बर
 का उल्लेख नहीं किया है साफल्य कारा वसुधम्बर में जो
 बिना अनुमति अर्थात् गैरसाफल्य कारा
 डालना बताया है न्यूने गैरसाफल्य कारा के
 और जो अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है
 अतः साफल्य कारा का प्रयोजन वाक्य अस्फाई
 विवेचना अस्पष्ट होने के कारण खारिज
 किया जाता है। पतावली कैशल शुमार हेकर
 अम्बर के क्रम। शामिल मूल काद रहे


उपखंड अधिकारी
 महवा जिला-दौसा (राज०)